[2022] 7 एस. सी. आर. 190

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

ए.

चैतु गोवाला और एक और

बनाम

असम का राज्य

(2020 की आपराधिक अपील संख्या 325)

बी.

07 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302 और 149-अपीलार्थियों के साथ 70 अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर एक कंपनी के प्रबंध निदेशक की हत्या का आरोप लगाया गया था जिसमें वे काम कर रहे थे-अभियोजन पक्ष ने तीन चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की जिन्होंने अपीलार्थियों की पहचान की- विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील पर, कहाः चश्मदीद गवाहों के बयान पर विचार करने पर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि अपीलार्थियों ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई और अपराध करने में किसी भी तरह से भाग लिया-मजदूरी के संबंध में कुछ विवाद थे और अपीलकर्ता घटना स्थल पर श्रमिक संघ के पदाधिकारी के रूप में मौजूद थे-यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलकर्ता-चैतु गौड़ा ने मजदूरों को उनकी अपनी भाषा में कुछ कहा जिसके बाद मजदूर बहुत उत्तेजित हो गए-लेकिन आरोपी द्वारा जो कहा गया था, उसके बारे में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं-किसी ठोस सबूत के अभाव में, अपीलार्थियों को यू/एस द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।302 एस की सहायता से आई. पी. सी.149 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय के विवादित फैसले अपास्त करना कर दिया गया और खारिज कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

एफ.

यह अभिनिर्धारित किया कि -चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू **3,** पीडब्लू **4** और पीडब्लू **6** के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है कि अपीलार्थियों ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई हो और/या उन अपराधों को करने में किसी भी तरह से भाग लिया हो जिनके लिए वे दोषी ठहराए गए हैं।यदि पूरे साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य को स्कैन किया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में अपीलार्थियों संघ के पदाधिकारियों के रूप में वहां मौजूद थे।मजदूरी के संबंध में कुछ विवाद थे।यहां तक कि पीडब्लू **3** के अभिसाक्ष्य के अनुसार, बुलाए जाने पर, अपीलार्थियों कार्यालय के कमरे में घुस गए लेकिन जल्द ही वे दोनों बाहर आए और एकत्रित मजदूरों को बताया

जी.

एच.

190 ए.

191

चैतु गोवा और ए. एन. ए. आर. बनाम असम राज्य ए.

कि प्रबंध निदेशक उनके बकाया को वितरित करेगा और उन्हें उस स्थान पर जाने के लिए कहेगा जहाँ बकाया वितरित किया जाना था।इसके बावजूद, मजदूरों ने विरोध किया कि वे पूरे बकाया के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया।अन्य मजदूरों-सह-अभियुक्तों ने पीएसओ का कार्बाइन छीन लिया और उस पर मृतक-प्रबंध निदेशक ने अपीलार्थी -चैतू गोवाला से पूछा कि पीडब्लू **3** का हथियार क्यों छीन लिया गया, क्योंकि वह एक लोक सेवक था।यह रिकॉर्ड में आया है कि इस पर अपीलार्थी -चैतु गोवाला ने मजदूरों को उनकी अपनी भाषा में कुछ बताया जिसके बाद मजदूर बहुत उत्तेजित हो गए।अभियुक्त-चैतू गोवाला द्वारा जो कहा गया था, उसके बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है।इसलिए, किसी भी ठोस सबूत के अभाव में कि अपीलार्थियों ने मृतक और/या यहां तक कि पीएसओ पर हमला किया और/या कोई चोट पहुंचाई और किसी भी सबूत के अभाव में जो अपीलार्थियों द्वारा उनकी अपनी भाषा में कहा गया था और किसी भी सबूत के अभाव में कि अपीलार्थियों ने मजदूरों-अन्य सह-अभियुक्तों को उकसाया था, अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा **149** की सहायता से आईपीसी की धारा **222** के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलार्थियों को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना, जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, अस्थिर है।**[**पैरा **5] [193-**बी-एच**; 194-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील संख्या 325।

ई.

2013 की आपराधिक अपील संख्या 62 में गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

मनीष गोस्वामी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

सुश्री दीक्षा राय, सुश्री रागिनी पांडे, देबोजीत बोरकाकाटी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. आपराधिक अपील सं. 62/2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 04.12.2018 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और इसमें अपीलार्थियों-चैतू गोवाला और अजय अहारी-मूल अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

जी.

एच.

आई. पी. सी. की धारा 302/392/148 323/149 के तहत अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देते हुए, मूल आरोपी संख्या क्रमशः 2 और 1-चैतू गोवाला और अजय अहारी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. अपीलार्थियों के साथ अन्य सह-अभियुक्तों (संख्या में 70) पर आई. पी. सी. की धारा 323/149 के तहत उस कंपनी के प्रबंध निदेशक रूपक कुमार गोगोई की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसमें आरोपी व्यक्ति काम कर रहे थे।प्रासंगिक समय में, अपीलार्थियों संघ के अध्यक्ष और सचिव थे।अभियोजन पक्ष ने पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 6 की चश्मदीद गवाहों के रूप में जांच की, जिन्होंने अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों की

पहचान की थी।मुकदमे के समापन और साक्ष्य के मूल्यांकन पर, निचली न्यायालय ने 57 अभियुक्तों को बरी कर दिया, हालांकि, उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थियों सहित 13 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अन्य अपराधों के लिए अलग-अलग सजाएं भी सुनाई।कि यहाँ अपीलार्थियों सहित तेरह अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा की गई।

बी.

सी.

डी.

2.1 कुल मिलाकर, छह अभियुक्तों ने वर्तमान अपील/विशेष अनुमति याचिका दायर की। हालाँकि, दिनांक 25.03.2019 के आदेश द्वारा, याची संख्या 3 से 6 तक की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।इसलिए, वर्तमान अपील शेष अभियुक्तों, अर्थात् चैतू गोवाला और अजय अहारी-मूल अभियुक्त संख्या क्रमशः 2 और 1 के लिए है।

ई.

3. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने मृतक को कोई चोट पहुंचाई और/या उन अपराधों में भाग लिया जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में अपीलार्थियों संघ के पदाधिकारी के रूप में वहां थे और जब बातचीत चल रही थी, तो मजदूर इकट्ठा हुए और उन पर हमला किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में अपीलार्थियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, हालांकि, भीड़ ने मृतक-प्रबंध निदेशक पर हमला किया, जिन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थियों ने यहां तक कि भीड़ को उकसाया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य पर विचार करते हुए भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 302। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हमें संबंधित गवाहों के अभिसाक्ष्य पर ले गए हैं।

एफ.

जी.

एच.

193

चैतु गोवाला और एन्नदर बनाम असम राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए कहा है कि चश्मदीद गवाहों पीडब्लू3, पीडब्लू4 और पीडब्लू6 के अभिसाक्ष्य से यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलार्थियों जो पदाधिकारी थे, भीड़ के आने पर बाहर आए और फिर उन्होंने अपनी भाषा में कुछ कहा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से उचित रूप से दोषी ठहराया जाता है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें पीडब्लू3, पीडब्लू4 और पीडब्लू6 के अभिसाक्ष्य पर ले जाया है।

बी.

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है। हमने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का विस्तार से अध्ययन किया है।हमने प्रासंगिक गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू 3, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 6, जो चश्मदीद गवाह थे, के अभिसाक्ष्य पर भी विस्तार से विचार किया है।चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है कि अपीलार्थियों ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई हो और/या उन अपराधों को करने में किसी भी तरह से भाग लिया हो जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया हो।यदि पूरे साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य को स्कैन किया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में अपीलार्थियों संघ के पदाधिकारियों के रूप में वहां मौजूद थे।मजदूरी के संबंध में कुछ विवाद थे। यहां तक कि पीडब्लू 3 के अभिसाक्ष्य के अनुसार, बुलाए जाने पर, अपीलार्थियों कार्यालय कक्ष में घुस गए, लेकिन जल्द ही वे दोनों बाहर आ गए और एकत्रित मजदूरों से कहा कि प्रबंध निदेशक उनका बकाया वितरित करेंगे और उन्हें उस स्थान पर जाने के लिए कहा जहां बकाया वितरित किया जाना था।इसके बावजूद, मजदूरों ने विरोध किया कि वे पूरे बकाया के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया।अन्य मजदूरों-सह-अभियुक्तों ने पीएसओ का कार्बाइन छीन लिया और उस पर मृतक-प्रबंध निदेशक ने अपीलार्थी -चैतू गोवाला से पूछा कि पीडब्लू 3 का हथियार क्यों छीन लिया गया, क्योंकि वह एक लोक सेवक था।यह रिकॉर्ड में आया है कि इस पर अपीलार्थी -चैतु गोवाला ने मजदूरों को उनकी अपनी भाषा में कुछ बताया जिसके बाद मजदूर बहुत उत्तेजित हो गए।अभियुक्त-चैतू गोवाला द्वारा जो कहा गया था, उसके बारे में कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है।इसलिए, किसी भी ठोस सबूत के अभाव में कि अपीलार्थियों ने मृतक और/या यहां तक कि पीएसओ पर हमला किया और/या कोई चोट पहुंचाई और किसी भी सबूत के अभाव में जो अपीलार्थियों द्वारा उनकी अपनी भाषा में कहा गया था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थियों ने मजदूरों-अन्य सह-अभियुक्तों को उकसाया था, हमारी राय है कि अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 149 की सहायता से आईपीसी की धारा 222 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हम कंपनी के हैं

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

194

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

विचार है कि अपीलार्थियों, अर्थात् चैतू गोवाला और अजय अहारी को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना, जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है, अस्थिर है।6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में अपीलार्थियों और निचली अदालत द्वारा अपीलार्थियों चैतू गोवाला और अजय अहारी को आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने के आदेश अपास्त करना कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने वाले निचली अदालत के फैसले की पुष्टि पहले ही हो चुकी है।इसमें अपीलार्थियों-कर्मा गोवाला के पुत्र चैतू गोवाला और स्वर्गीय समरो अहारी के पुत्र अजय अहारी, मूल आरोपी संख्या 2 और 1 को क्रमशः उन अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया।यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

बी.

सी.

7. तदनुसार तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है।

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.